फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी मंगला विपक्षी भीमा

किस्म मुकदमा 53, 188 RT अधि पत्रावली संख्या 51/19 सन् ______

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	18/08/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण को बार - बार आवाजे दिलवाई गई। समय सॉय 5:00 PM हो चुके हैं। वादीगण एवं अधिवक्ता वादीगण अब तक अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण वर्तमान में वारिस कायमी में लम्बित हैं। वादीगण को वारिस कायमी हेतु लगभग 2 वर्ष का समय दिया जा चुका हैं। वादीगण को इतना समय दिये जाने पर भी वारिस कायमी नहीं करवाने से स्पष्ट जाहिर होता है कि वादीगण अपने वाद के प्रति सजग नहीं हैं एवं मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं। आज भी वादीगण स्वयं एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली • जिला-उदयपुर (राज.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 17:07:37 IST
Reason: SelfAttested